1570

सं0: /यूपीनेडा–सो0रूफटाप/शिकायत/2019–20
उ0प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण,
विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ
दिनांक: 27 मई,2025

मैसर्स वी0 एन0 सौर ऊर्जा प्रोजेक्टस प्रा0लि0,
सी–977, इन्दिरा नगर,
लखनऊ – 226016
ईमेलः vnsaururja@gmail.com

श्री पुनीत कुमार, 3/177, विकल्प खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ ने पत्र दिनांक 21.08.2024 के माध्यम से अवगत कराया गया था कि फर्म मैसर्स वी0एन0सौर ऊर्जा प्रा0लि0, इन्दिरा नगर, लखनऊ द्वारा उनके आवास पर स्थापित किये गये सोलर पैनल ऑधी में पिलर सहित पास के मकानों व सड़क पर गिर गये। इस संबंध में फर्म द्वारा समुचित कार्यवाही नही की गयी जबकि उनके द्वारा फर्म को भुगतान किया जा चुका है। इस कम में उक्त स्थल पर स्थापित कराये गये सोलर रूफटाप संयत्र की भौतिक जॉच कर अपनी संस्तुति के साथ जॉच आख्या उपलब्ध कराने हेतु परियोजना अधिकारी यूपीनेडा लखनऊ को पत्रांक–2957/यूपीनेडा–सो0 रूफटाप/शिकायत/2019–20 दिनांक 24अगस्त, 2024 द्वारा निर्देशित किया गया था।

परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा लखनऊ द्वारा स्थल की जॉच कर अवगत कराया गया है कि निरीक्षण के समय छत पर कोई भी सोलर पैनल स्थापित नही पाया गया जबकि उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के अनुसार प्रार्थी द्वारा रू0 1.70 लाख मात्र दिये जाने की पुष्टि होती है प्रार्थी द्वारा रू0 100000/– नगद दिये जाने के कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नही कराये गये हैं जिससे नगद लेन देन की पुष्टि हो सके। श्री पुनीत कुमार द्वारा दिनांक 05.07.2024 को आईजीआर एस पोर्टल पर शिकायत की गयी थी जिसके कम में दिनांक 14.07.2024 को थानाध्यक्ष चिनहट, लखनऊ के समक्ष दोनों पक्षों में समझौता हुआ। श्री पुनीत कुमार द्वारा अवगत कराया गया है कि समझौते के सापेक्ष फर्म द्वारा कोई कार्यवाही नही की गयी है। उन्होंने अपने पत्र दिनांक 21.08.2024 के माध्यम से धनराशि वापस कराये जाने व फर्म के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का अनुरोध किया गया।

इस संबंध में अभिकरण के पत्र संख्या–3998 दिनांक 14.10.2024 के माध्यम से एक सप्ताह के अंदर स्थिति से अवगत कराने अन्यथा की स्थिति में फर्म के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये अभिकरण में जमा 2.50 लाख की बैंक गारण्टी जब्त कर क्यों न फर्म को ब्लैकलिस्ट किये जाने हेतु नोटिस निर्गत किया गया, परन्तु फर्म द्वारा यथोचित कार्यवाही नही की गयी। तदोपरांत अभिकरण के पत्र संख्या–5437/यूपीनेडा– सोलर रूफटाप/शिकायत/2019–20 दिनांक 21 दिसम्बर, 2024 के माध्यम से अंतिम रूप से नोटिस जारी की गयी थी।

उक्त के कम में फर्म ने अपने पत्र दिनांक 31.12.2024 द्वारा अवगत कराया कि पुनीत कुमार 3/177 विकल्प खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ द्वारा फर्म के विरूद्व पुलिस कमिशनर लखनऊ के यहॉ भी शिकायत किया है जिसकी जॉच चौकी प्रभारी मल्हौर द्वारा की जा रही है, दूसरी शिकायत यूपीनेडा में की गयी है तथा यह भी कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी एक मामले के दो विचारण नही हो सकते है। उक्त प्रकरण का परिवाद मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। मा0 न्यायालय में परिवाद के विचाराधीन होने के संबंध में फर्म द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया। श्री पुनीत कुमार द्वारा भी अपने पत्र दिनांक 15.01.2025 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा किसी न्यायालय में कोई वाद दायर नही किया गया है तथा फर्म को किये गये भुगतान रू0 2.70 लाख को वापस दिलाने का अनुरोध किया गया है।

इस कम में फर्म को अन्तिम नोटिस दिनांक 30.01.2025 को इस आशय से निर्गत की गयी कि तत्काल संबंधित शिकायतकर्ता से प्राप्त धनराशि 10 दिनों में वापस करना सुनिश्चित करें अन्यथा कि स्थिति में कारण बतायें कि क्यों न फर्म को एक वर्ष के लिये ब्लैकलिस्ट करते हुये अभिकरण में जमा रू0 2.50 लाख की बैंक गारण्टी जब्त कर ली जाये।

उक्त के कम में फर्म द्वारा प्रकरण के साथ एक परिवाद के मा0न्यायालय विशेष सी0जे0एम0 (कस्टम) लखनऊ के समक्ष लम्वित होने संबंधी प्रश्नोत्तरी संलग्न की गयी है। उक्त वाद में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश आदि संलग्न नही किया गया है। मात्र परिवाद के लम्वित होने से फर्म किसी लाभ को पाने की अधिकारी नही हो जाती है। फर्म को पूर्व में दिये गये नोटिस दिनांक 21.12.2024 के उत्तर में पत्र दिनॉक 31.12.2024 द्वारा भी फर्म द्वारा अपना पक्ष न रखकर मात्र प्रकरण के न्यायालय में विचाराधीन होने का उल्लेख किया गया था। तत्समय फर्म द्वारा लम्वित वाद का कोई विवरण भी नही दिया गया था जिसके कारण फर्म को पुनः एक अवसर देते हुये नोटिस दिनांक 30.01.2025 इस आशय से जारी की गयी थी कि क्यों न फर्म को 01 वर्ष के लिये ब्लैकलिस्ट करते हुये अभिकरण में जमा 2.5 लाख की बैंक गारंटी जब्त कर ली जाये। उक्त नोटिस के उत्तर दिनांक 11.02.2025 में फर्म द्वारा अवगत कराया गया कि "*आप के द्वारा जो भी नोटिस और जव भी कोई नोटिस दी गयी है, मैंने सदैव पूरी सत्यता के साथ अपना पक्ष रखा पुनः तीसरी नोटिस से प्रतीत होता है कि मेरे पक्ष को सुने बिना ही एक तरफा कार्यवाही कर नोटिस जारी की गयी है। पुनीत कुमार द्वारा निरंतर झूठे आरोप लगाकर कम्पनी की छवि घूमिल करने की नियिति से किया जा रहा है। चूॅकि प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन है इसलिये इस प्रकरण मे और अधिक कुछ नही।*"

फर्म द्वारा दिये गये उत्तर दिनांक 11.02.2025 में फर्म द्वारा मूल विषय पर अपना पक्ष नही रखा गया और न ही किसी प्रकार के तथ्य आदि वर्णित किये गये। सोलर प्लांट लगाये जाने अथवा न लगाये जाने अथवा कार्य की गुणवत्ता आदि के विषय में भी कोई टिप्पणी अंकित नही की गयी और न ही श्री पुनीत कुमार द्वारा दी गयी धनराशि को वापस किये जाने अथवा उसके विषय में कोई अन्य टिप्पणी ही की गयी।

उक्त परिस्थितियों में जबकि फर्म द्वारा वस्तुतः अपने पक्ष में कुछ भी कथन नही किया गया, प्रकरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी हेतु परियोजना अधिकारी, यूपीनेडा, लखनऊ द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर आख्या प्रस्तुत करने हेतु कहा गया। जिसके कम में पत्र दिनांक 20.05.2025 द्वारा स्थलीय निरीक्षण कर अवगत कराया गया है कि *"वर्तमान में सोलर पावर प्लांट स्थापित नही है। लाभार्थी द्वारा बताया गया कि दिनांक 05.06.2024 की रात्रि में ऑधी आने के दौरान प्लांट नीचे गिर कर क्षतिग्रस्त हो गया है। निरीक्षण के दौरान संयत्र के अवयवों की कुछ सामग्री आपूर्तित पायी गयी, जिनके फोटोग्राफ संलग्न कर प्रेषित हैं।"*

इस प्रकार वर्तमान में भी फर्म द्वारा न तो स्थल पर सोलर प्लांट स्थापित कराया गया है और न ही श्री पुनीत कुमार को उनके द्वारा दी गयी धनराशि वापस की गयी है। फर्म को प्रेषित किये गये नोटिस दिनांक 30.01.2025, के उत्तर में फर्म द्वारा प्रेपित पत्र दिनांक 11.02.2025 में अपना कोई पक्ष नही रखा गया तथा सोलर प्लांट की स्थापना से संबंधित कोई तथ्य वर्णित नही किया गया।

इस कम में अभिलेखों के परिशीलन तथा फर्म द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण एवं परियोजना अधिकारी यूपीनेडा द्वारा किये गये स्थलीय निरीक्षण से यह पाया जाता है कि फर्म द्वारा श्री पुनीत कुमार, निवासी 3/177, विकल्प खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ से 1.70 लाख लिये जाने के पश्चात भी उनके निवास में कोई भी सोलर पैनल नही स्थापित किया गया। उक्त परिस्थिति में श्री पुनीत कुमार द्वारा प्रस्तुत शिकायत सत्य पायी जाती है तथा यह पाया जाता है कि फर्म के उक्त कृत्य से एक लाभार्थी योजना के लाभ से वंचित रह गया है एवं कार्यक्रम के प्रति विपरीत छवि भी उत्पन्न हो रही है। उक्त परिस्थिति में फर्म द्वारा अभिकरण में जमा करायी गयी रू0 2.50 लाख की बैंक गारंटी जब्त करते हुये फर्म मैसर्स वी0एन0 सौर ऊर्जा प्रोजेक्टस प्रा0लि0, लखनऊ को 1 वर्ष के लिये ब्लैक लिस्ट किया जाता है।

(इन्द्रजीत सिंह)
निदेशक,यूपीनेडा।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल/पूर्वान्चल विद्युत वितरण निगम, लिमिटेड, लखनऊ/कैस्को, कानपुर/टोरेंट पावर, लिमिटेड, आगरा/नोयडा पावर कम्पनी लिमिटेड, गौतमबुद्धनगर।
2. निदेशक, सूचना विभाग, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, लखनऊ/मुख्य विकास अधिकारी, लखनऊ।
4. वित्त एवं लेखाधिकारी, यूपीनेडा।
5. परि0अधि0, यूपीनेडा, लखनऊ।
6. प्रचार अधिकारी, यूपीनेडा।
7. प्रभारी कम्पयूटर।

(इन्द्रजीत सिंह)
निदेशक,यूपीनेडा।